



महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduuniversity.azamgarh@gmail.com

Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांक-२५७३/कु०का०/२०२३

दिनांक- ०८/११/२०२३

कार्यालय आदेश


माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र २०२३-२४ की समस्त पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षाओं (स्नातक प्रथम/तृतीय/पंचम सेमेस्टर तथा स्नाकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर एन०ई०पी०-२०२० के अन्तर्गत) तथा बैंक पेपर/भूतपूर्व/श्रेणी सुधार एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के समस्त विषय बी०एड० (तृतीय सेमेस्टर), एम०एड०, एलएल०बी०, एलएल०एम०, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी०पी०एड०, बी०एस-सी०(Ag), एम०एस-सी०(Ag), के ऑनलाइन परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://msdsu.ac.in> अथवा msdsuonline.in पर निम्न विवरण के अनुसार भरे जाएंगे इसके साथ ही प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के UFM के छात्र भी बैंक पेपर परीक्षा फार्म भरेंगे।

क्रमांक	विवरण	दिनांक
1	निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की प्रारम्भिक तिथि	09.11.2023
2	निर्धारित शुल्क के साथ परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि	20.11.2023
3	महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा फार्मों का शुद्धीकरण एवं सत्यापन	21.11.2023-23.11.2023
4	विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पा रोल लिस्ट उपलब्ध कराने की तिथि	27.11.2023

नोट-* महाविद्यालय परीक्षा फार्म के शुद्धीकरण/सत्यापन का कार्य फार्म भरे जाने की अवधि में साथ-साथ ही सम्पादित करते रहें।

उपरोक्त के क्रम में समस्त सम्बन्धित शासकीय/अशासकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त तिथियों के अनुसार निर्धारित शुल्क सहित समस्त परीक्षा फार्म भरवाने की कार्यवाही सम्पन्न कराएं।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी को संज्ञानार्थ।
2. प्राचार्य/प्राचार्या/समस्त सम्बन्धित शासकीय/अशासकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. ऑनलाइन एजेन्सी को इस आशय से प्रेषित है, कि उक्त कार्यालय आदेश को महाविद्यालय के कॉलेज लॉगिन एवं विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें तथा उपरोक्तानुसार आनलाइन परीक्षा फार्म भरवाने एवं ऑनलाइन निर्धारित शुल्क जमा कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विश्वविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हेतु।
5. मीडिया प्रभारी को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में व्यापक जनहित में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु।

कुलसचिव